फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम नियाज मोहम्मद पुत्र सजावर जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां मुकदमा राज0 उप0 अधि0 धारा 22 मु0न0 2024/2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29/8/2024	पटवारी हल्का देईदास ने अप्रार्थी नियाज मोहम्मद पुत्र सजावर जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर के विरूद्ध नाजायज अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम ढाणी लाल खां के खसरा नं. 127 किस्म गैर मु0 चौब की भूमि पर अप्रार्थी नियाज मोहम्मद पुत्र सजावर जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां द्वारा नाजायज रूप से (15x15) 225 वर्गफुट पर पक्का निर्माण शेष खाली भूमि पर कब्जा 875 वर्गफुट इस प्रकार कुल रक्बा 1100 वर्गफूट यानि 0.010 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज रूप से अतिचार करने की रिर्पोट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी नियाज मोहम्मद पुत्र सजावर जाति मुसलमान को नोटिस जारी हो पत्रावली आईन्दा दिनांक 02.09.2024 को पेश हो।	नोटिस संख्या 305 / 29/8/2024
02.09.24	पत्रावली आज दिनांक तारीख पेशी में ली गई। रौही मौजा ढाणी लाल खां के खसरा नं. 127 किस्म गैर मु0 चौब की भूमि पर अप्रार्थी नियाज मोहम्मद द्वारा नाजायज रूप से (15x15) 225 वर्गफुट पर पक्का निर्माण शेष खाली भूमि पर कब्जा 875 वर्गफुट इस प्रकार कुल रक्बा 1100 वर्गफूट यानि 0.010 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज रूप से अतिचार रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया नोटिस का जवाब अप्रार्थी की पुत्रवुध मीनू द्वारा जवाब पेश किया जवाब का अवलोकन करने पर जवाब संतोषजनक प्रतित नही होता है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा ख.न. 127 किस्म गैर मुमकिन चोब पर नाजायज रूप से कब्जा करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवम् अप्रार्थी को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 100/– से दण्डित किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर सामिल मिसल हो।	

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – भार्गवी सान्दू

प्रकरण संख्याः– 2024/2

राज. सरकार

बनाम

नियाज मोहम्मद पुत्र सजावर जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः–02.09.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का देईदास ने दिनांक 29.08.2024 को एक रिर्पोट पी–14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नियाज मोहम्मद पुत्र सजावर जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर द्वारा रौही मौजा ढाणी लाल खां के ख.न. **127 किस्म गैर मुमकिन चौब की भूमि पर नाजायज रूप से (15x15) 225 वर्गफुट पर पक्का निर्माण शेष खाली भूमि पर कब्जा 875 वर्गफुट इस प्रकार कुल रक्बा 1100 वर्गफूट यानि 0.010 हैक्टेयर** पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी के आबाद मकान पर चस्पा होकर तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की पुत्रवधू मीनू पत्नी फिरोज पुत्र नियाज माहेम्मद की तरफ से आज दिनांक 02.09.2024 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया कि "प्रार्थी जेल में बंद है एवम् आबादी की भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है बिजली पानी के बिल है अतः नोटिस विधि विरूद्ध है और काबिले खारिज है" अप्रार्थी का जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया अप्रार्थी द्वारा दिया गया जवाब सतोषजनक प्रतीत नही होता है। पटवारी हल्का देईदास द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थी को **खसरा नम्बर 127 किस्म गैर मुमकिन चौब की भूमि ((15x15) 225 वर्गफुट पर पक्का निर्माण शेष खाली भूमि पर कब्जा 875 वर्गफुट इस प्रकार कुल रक्बा 1100 वर्गफूट यानि 0.010 हैक्टेयर) पर विधि विरूद्ध कब्जा करने पर अप्रार्थी नियाज मोहम्मद को अतिक्रमी घोषित कर रक्बे को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।** अप्रार्थी को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 100/– से दण्डित किया जाता है।

अप्रार्थी को उक्त भूमि दिनांक 03.09.2024 तक खाली करने हेतु अलग से पत्र जारी हो। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.09.2024 तक अतिक्रमण नही हटाने पर भू अभिलेख निरीक्षक देईदास एवम् पटवार हल्का देईदास द्वारा अतिक्रमी को बेदखल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भार्गवी सान्दू R.T.S.)
तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

राजस्व शाखा

कार्यालय आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 2024/2 में निर्णय दिनांक 02.09.2024 के द्वारा अतिक्रमी नियाज मोहम्मद पुत्र सजावर जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां द्वारा रौही मौजा ढाणी लाल खां के खसरा नम्बर 127 किस्म गैर मुमकिन चौब की भूमि (15x15) 225 वर्गफुट पर पक्का निर्माण शेष खाली भूमि पर कब्जा 875 वर्गफुट इस प्रकार कुल रक्बा 1100 वर्गफूट यानि 0.010 हैक्टेयर पर विधि विरूद्ध अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी धोषित किया जाकर अतिक्रमी को बेदखली आदेश परित होकर जुर्माना स्वरूप राशि 100 रूपये तावान से दण्डित किया गया है।

अतः इस निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय का स्थगन आदेश/ अन्य विवाद न हो तो निर्णयानुसार पालना हो।

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. अतिक्रमी नियाज मोहम्मद को भेजकर लेख है कि निर्णयानुसार उक्त भूमि को दिनांक 03.09.2024 तक अतिक्रमण मुक्त करें।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक/प.ह. देईदास को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी द्वारा दिनांक 03.09.24 तक निर्णयानुसार पालना नही करने पर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करते हुए पालना रिपोर्ट पेश करें।
3. पटवारी हल्का देईदास को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली की कार्यवाही करे।

(भार्गवी सान्दू R.T.S)
तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature valid
Digitally signed by Bhargavi Sandu
Designation : Tehsildar
Date: 2024.09.02 1?:39:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10174802